राजस्थान सरकार

राजस्व ग्रुप-6 विभाग

क्रमांक: प. 10(8) राज-6/ 2001/23 जयपुर दिनांक 12-9-03

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन (संशोधन) नियम, 2003 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 क का संशोधन:- राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के विद्यमान नियम 2 क के पश्चात, नया नियम 2 ख निम्नलिखित रूप में अन्तः स्थापित किया जायेगा , अर्थात-2 ख भूमि जो इन नियमों के अधीन आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी:-

निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि इन नियमों के अधीन आवंटित नहीं की जायेगी, अर्थात:-

(1) किसी रेल लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित किसी अन्य सडक, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के इस निमित्त बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट की जाये , की सीमाओं के भीतर आने वाली या उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक नीति के अधीन उद्योग विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग के मध्य बिन्दु से विहित सीमा, जो भी दीर्घतर हो के भीतर आने वाली भूमि या किसी भी सडक या किसी भी ग्रामीण पथ्या जो गावों का महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों को जोडता है चाहे वह गांव के राजस्व नक्शे में दर्शित हो या नहीं, के मध्य से 100 फीट के भीतर आने वाली भूमि।

(11) किसी औद्योगिक इकाई या चूने भट्टे का किसी क्रेशर इकाई या किसी औद्योगिक क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए किसी गांव की आबादी की बाहरी सीमाओं के 1.5 किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर आने वाली भूमि।

यह निर्बन्धन वहां लागू नहीं होगा जहाँ संपरिवर्तन ईंट भट्टे या अप्रदूषक उद्योग, लघु या कुटीर उद्योग के लिए चाहा गया है ।

राज्यपाल के आदेश से,

(वी. एस. मीणा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. निजी सचिव मुख्य मंत्री /मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त/ प्रमुख शासन सचिव राजस्व ।
2. विशिष्ट सहायक उप मुख्य मंत्री राजस्व
3. विशिष्ट शासन सचिव राजस्व विभाग ।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान ।
5. समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान ।
6. निबंधक राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर ।
7. निदेशक सूचना प्रोद्योगिकी (कम्प्यूटर्स) विभाग जयपुर
8. निदेशक आर.आर.टी.आई. अजमेर ।
9. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय ,जयपुर ।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 12-9-2003 में प्रकाशनार्थ ।
11. राविरा अजमेर ।
12. उप निबंधक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल अजमेर ।
13. संयुक्त रजिस्ट्रार जजेज लाईब्रेरी उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ।
14. शासन उप सचिव समस्त राजस्व विभाग
15. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव